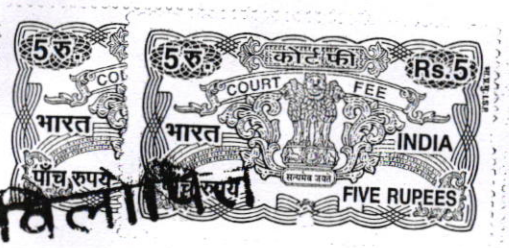

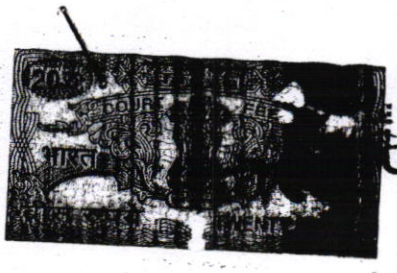

5रु COURT FEE कोर्ट फी भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

म/निगरानी/सागर/भू.रा/2017/6284

1. हेमराज तनय अमर सिंह दांगी
2. रामकिशोर तनय अमर सिंह दांगी

दोनों निवासी ग्राम लखाहर ,

तह. बीना जिला सागर ....आवेदकगण

//विरूद्ध//

1. श्रीमती सुशीला पुत्री गुल्ला पत्नी नवल अहिरवार निवासी खड़ेसरा तह. खुरई जिला सागर
2. श्रीमती सरसुती पुत्री गुल्ला पत्नी भरते अहिरवार निवासी ग्राम लहरखास तह. खुरई जिला सागर

......प्रतिअपीलार्थीगण

श्री श्रीमती रजनी किशोर शर्मा एड. द्वारा आज दि 22/12/17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 22/12/17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म०प्र०भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र. क्र. 141/अ–23/2009–2010 में पारित आदेश दि. 20.09.17 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय अपर कलेक्टर सागर द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.12.2009 में रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 27.12.96 को कय की गई भूमि अनावेदकगणों के नाम किए जाने का दूषित आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिअपीलार्थी अनावेदकगणों की सहमति उपरांत भी पारित आदेश की पुष्टि की गई जिसका पुनः अवलोकन आवेदन दिनांक 20.11.17 को निरस्त कर यह आधार लिया गया कि अपीलार्थीगणों द्वारा उठाये गए आधार वरिष्ठ न्यायालय में लिए जा सकते है इसी कारण यह निगरानी विधिवत रूप से सम्माननीय न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य के विवादित भूमि को प्रतिअपीलार्थी क.1 व 2 द्वारा ऋण की सुरक्षा में विकयपत्र निष्पादित किया गया मान्य करते हुए उनके नाम से भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने का निष्कर्ष निकाला गया है जबकि निष्पादित रजिस्टर्ड विकयपत्र के आधार पर आवेदकगण विधिवत रूप से काबिज है उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जा चुके है खसरा पांचसाला ऋण पुस्तिका की प्रति में उनका नाम उल्लेखित है अनावेदकगणों द्वारा कभी भी निष्पादित रजिस्टर्ड विकयपत्र के धोखे से किए जाने की कोई शिकायत नहीं है बल्कि अपनी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/सागर/भू.रा./2017/6284 जिला सागर हेमराज विरूद्ध सुशीला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 05-09-2018 को उभयपक्षों के अभिभाषकों को सुना गया । शासकीय अभिभाषक श्री अजय निरंकारी को सुना गया । शासकीय अभिभाषक श्री अजय निरंकारी के द्वारा समझौता शपथ पत्र का विरोध किया गया । 2. मेरे द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20-09-2017 का अध्ययन किया गया, जिसके अनुसार शासकीय पट्टे की जमीन का विक्रय दिनांक 27-12-1996 को म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 167(7)(ख) के उल्लंघन में किया गया है । गैरनिगरानीकर्ता सुशीला के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा भूमि का विक्रय नहीं किया गया है । मात्र 18,000/- रूपये मां की तबीयत खराब होने के कारण हेमराज(निगरानीकर्ता) से लिये थे स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी हुई थी । रूपये वापस दिलाये जायें । 3. दिनांक 04-07-2018 को आवेदक अभिभाषक के द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन मय शपथ पत्र दिया था, जिसका पैरा (2) निम्नानुसार है - " यह कि, यदि प्रकरण शीघ्र सुनवाई में नहीं लिया गया तो अनावेदक आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि पर कब्जा कर उक्त विवादित भूमि पर कब्जा कर लेगा जिससे आवेदक को अपूर्तनीय क्षति होगी । इसलिये उक्त प्रकरण आज ही सुनने की कृपा की जावे ।" 4. शपथ पत्र दिनांक 08-12-2017 को लिखा गया है, जिसका बिन्दु (1) निम्नानुसार है - " यह कि मेरे एवं मेरी बहन सुरसुती द्वारा भूमि ख.नं. 181 रकबा 1.61 हे. का रजिस्टर विक्रय पत्र हेमराज एवं	

1/3

17.9.18

रामकिशोर को किया था और उनके नामांतरण पर सहमती दी थी इसी आधार पर हम लोगों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भी सहमति दी है इनके (आवेदकगण) नाम पूर्वत: सुधार किये जाने में हम लोगों को कोई आपति नहीं है ।"

5. उपरोक्त से यह सिद्ध है कि भूमि का विक्रय किया गया था, जिस हेतु कोई अनुमति नहीं ली गई थी । इस प्रकार निगरानी मेमों व शपथ पत्र के तथ्य विरोधाभासी होने के कारण शपथ पत्र पश्चातवर्ती विचार (After Thought) की श्रेणी में आते है ।

6. पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत समझौता शपथ पत्र को इस न्यायालय के द्वारा इस निगरानी में ग्रहण (Entertain) नहीं किया जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में तथाकथित विक्रय 27-12-1996 को होना बताया जा रहा है, जबकि भू.रा.संहिता 1959 में धारा 165(7)(B) का प्रावधान वर्ष 1980 में ही किया जा चुका था, जिसके अनुसार शासकीय पट्टे की भूमि के विक्रय की अनुमति कलेक्टर से लेना आवश्यक था ।

7. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ ने WP-539/2017 श्री जया राठी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30-01-2018 में निम्नानुसार Observation दिया है ।

(6) "The land was granted to the landless persons on lease by the State Government. The transfer of land leased to a landless person could be affected only after getting approval from the Collector. Since admittedly the approval from the Collector was not sought, such transaction has been rightly found to be void as such transaction is in contravention of statutory provisons."

(8) "Therefore, The State having granted lease of land to landless person had a right over the land in question as owner."

8. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की Double Bench के द्वारा 2002/IND Law MP/232 आदेश दिनांक 22-01-2002 में भी यही न्याय दृष्टांत पारित किया गया है ।

" Notwithstanding anything contained in subsection (1) a person who holds land from the State Government or a person who holds land in Bhumiswami right under sub-s (3) of 158 or whom right to occupy land is granted by the State Government or The Collector as a Government-Lessee and who subsequently becomes Bhumiswami of such land, shall

not transfer such land without the permission of a Revenue Officer not below the rank of a collector, given for reasons to be recorded in writing." This provision was exacted on 28-10-1992 much after the transaction of sale in this case. Though it provides that after expiry of a period of ten years, the land may be transferred but it is also subject to the prohibition of Section 165(7-B) of the Code, so untill and unless such a permission is granted by the collector with Cogent reasons, The sale is not permissible. The abovesaid enactment has been made to restrict the transfer of land, which has been granted on lease by the State Government to landless person and such person can not be deprived of the land by any transfer except as permissible under section 165(7-B) of the code and gives jurisdiction to the Collector to consider such a prayer only after a period of 10 years and not before that."

9. अत: उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में त्रुटि न पाने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत न होने से निगरानी निरस्त की जाती है । अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक 20-09-2017 एवं अपर कलेक्टर सागर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 203/अ-23/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 21-12-2009 स्थिर रखा जाता है ।

10. उभय पक्ष अभिभाषकों को नोट कराया जाये ।

17.9.2018

(आर.के. जैन)

सदस्य